

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना
सं. 18/2024-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 30 सितंबर, 2024

का.आ.... (अ) .- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 171 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धारा 109 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के साथ पठित, माल और सेवाकर परिषद् की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 109 की उपधारा (3) के अधीन गठित, अपील अधिकरण की प्रधान न्यायपीठ को, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा लिये गये इनपुट कर प्रत्यय या कर दर में कटौती वास्तविक रूप से उस रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रदाय की गई माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में समरूप कटौती में परिणत हुई है, की जांच करने के लिए सशक्त करती है।

2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2024 से प्रवृत्त होगी।

[सं. सीबीआईसी-20016/25/2024-जीएसटी]

(राघवेन्द्र पाल सिंह)
निदेशक